

**न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू**

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मण्डावरा,

**बनाम**

श्री रामप्रताप मुकेश पुत्रगण बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत घारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

**—:निर्णय:—**

प्रकरण संख्या:- 102/2021

दिनांक 28.12.2021

28.12.2021 पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मण्डावरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2078 में मौजा ग्राम मण्डावरा पटवार हल्का मण्डावरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 105 कुल रकबा 0.96 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 1987/104 कुल रकबा 1.02 किस्म बंजड़ 2 में से 0.50 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामप्रताप मुकेश पुत्रगण बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जबाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का उसके हक में नियमन कर दिया जाये।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

**आदेश**

वाके ग्राम मण्डावरा पटवार हल्का मण्डावरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 105 कुल रकबा 0.96 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 1987/104 कुल रकबा 1.02 किस्म बंजड़ 2 में से 0.50 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रामप्रताप मुकेश पुत्रगण बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.86 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 93/-रुपये (अक्षरे रू तिरानवे मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से अतिक्रमी को बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी